

फर्द अहकाम

प्रभात बनाम रामफूल व अन्य

प्रकरण सं० 132/2017

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
20/3/18	<p>पत्रादली पेश हुई वकील प्राची उपर्युक्त फर्द कादेशों की पालनाओं में नोटिस मफ्त पेश नहीं किये गए। अतः अहकाम में कठिनाई उत्पन्न दिवस लेकर पत्रादली दिनांक 28/6/18 को पेश की।</p>
नि० रामफूल	<p>राजस्थान अदालत जयपुर</p>
नि० प्रभात	<p>7/6/18 - पत्रादली आज दिनांक को न्याय आपके द्वार कैम्प चामरगा में पेश हुई। प्राची रामफूल, 3- प्यारिसिंह, 7 रामरतन एवं प्राची प्रभात स्वयं उपस्थित। प्राची ने हस्ताक्षर नहीं किये। अतः अहकाम की भावना से सुनवाई से की गई। अतः अहकाम को प्राथमिक डिडी किया है। अतः अहकाम उक्त प्राची का अहकाम चामरगा 212 RT Act को मूल-वाद के वा फेंसाला तक कार्यवाही किया जाता है। पत्रादली फेंसाला प्रभात लेकर गम्हर से कर ले। वाद अति दक्षिण उपर्युक्त अहकाम के साथ हस्तलिखित किया जाये।</p>



अहकाम प्रभात

रामरतन प्रभात

राजस्थान अदालत
जयपुर